कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला रीवा (म0प्र0)

:आ दे शः

दिनांक 25 नवम्बर 2020

कमांक 312/प्रवा0कले0/2020: रीवा जिले में पिछले कुछ दिनो में संक्रमण का फैलाव बढा है साथ ही आने वाले दिनो में शादी–विवाह आदि के भी कई आयोजन होने है तथा ऐसे समस्त आयोजन जिसमें कोविड–19 के प्रोटोकॉल (फैस मास्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग) का पालन नही होता है तो कोरोना संक्रमण की गति बढते हुए मरीजो की संख्या में बढोत्तरी होगी। अतः यह आवश्यक हो गया है कि ऐसी समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को इस प्रकार से विनियमित किया जाए ताकि कोरोना संक्रमण की गति में कमी आए व ऐसी परिस्थितियां निर्मित न हो जिससे उपचार की यथोचित व्यवस्था उपलब्ध कराना कठिन हो जाए। उक्त परिस्थतियों के चलते कोरोना संक्रमण को फैलने की गति को नियत्रित करने हेतु कार्यालयीन आदेश कमांक 1731/प्रवा0कले0/2020 रीवा दिनांक 22 सितम्बर 2020 के बिन्दु कमांक 03 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं इलैया राजा टी. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला रीवा, दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निम्नानुसार आदेश प्रसारित करता हूं:–

1. **सांस्कृतिक/सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में आमंत्रित एवं शामिल होने वाले सदस्यो की संख्या का निर्धारण –** इन तीनो श्रेणी के कार्यक्रमों के आयोजन बन्द स्थानो में हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत किन्तु 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ कार्यक्रम किये जा सकेगें। खुले स्थानो एवं मैदान के आकार की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत किन्तु 200 व्यक्तियों से अधिक नही हो सकेगे। आयोजन स्थल पर कोविड–19 के प्रोटोकॉल (फैस मास्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग) के पालन की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता के साथ–साथ आयोजन स्थल वालो की भी रहेगी। उपरोक्त तीनो श्रेणी (सांस्कृतिक/सामाजिक एवं शार्मिक) के कार्यक्रमों में बारात को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की रैली/यात्रा/जुलुस आदि चल समारोह निकालना पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा। केवल विवाह समारोह में 50 बारातियों तक की बारात निकाली जा सकेगी। उपरोक्तानुसार कार्यक्रम की केवल सूचना संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी तथा थाना प्रभारी को दिया जाना आवश्यक है। उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार तथा नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) थाना प्रभारी का उडनदस्ता औचक रूप से उक्त कार्यक्रमों का निरीक्षण करेगें तथा आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर अर्थदण्ड तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करेगें।
2. रीवा शहर अथवा जिले के जिन क्षेत्रों में कोरोना मरीजो की संख्या अत्यधिक पाई जाती है उन क्षेत्रो को कंटेन्टमेंट घोषित कर उसके अन्दर आवाजाही पर रोक लगाई जा सकेगी।
3. भारत सरकार गृह/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन गृह/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।

यह आदेश सर्वसाधारण को सम्बोधित है और चूंकि वर्तमात परिस्थितियों में जन–साधारण को इसकी सूचना देना सम्भव नही है। अतः द0प्र0सं0 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

25/11/20

(इलैया राजा टी)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला रीवा (म0प्र0)

---02.

क्रमांक 312/प्रवा.कले./2020

प्रतिलिपि,

रीवा, दिनांक 25 नवम्बर, 2020

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. कमिश्नर, रीवा सम्भाग, रीवा की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
6. पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा।
9. पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा।
10. आयुक्त, नगर पालिक निगम रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अपर जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा।
12. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ कार्यवाही हेतु।
14. इंन्सीडेंस कमान्डर/अनुविभागीय दण्डाधिकारी, (समस्त) जिला रीवा।
15. तहसीलदार/अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार (सर्व) जिला रीवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
16. नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं थाना प्रभारी (समस्त) जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (सर्व) जिला रीवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
18. स्टेनो/टू कलेक्टर/अपर कलेक्टर, रीवा।
19. सहायक संचालक, जन सम्पर्क रीवा की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
20. सर्व जिला प्रमुखों.......................................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला रीवा (म0प्र0)